न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 50 / 2017–18 अन्तर्गत धारा–56 स्टाम्प एक्ट अधिनियम

1– श्रीमती संजीदा पत्नी रियाज, 2. श्रीमती शगुफ्ता पत्नी गुलबहार अहमद, निवासीगण–ग्राम मोहम्मदपुर, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, 3. श्रीमती रिहाना पत्नी मौहम्मद इनाम, निवासी–मोहल्ला माहिग्रान, रूड़की, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– उत्तराखण्ड सरकार, 2. अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्त्रीगण : श्री सतेन्द्र कुमार।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्त्रीगण उपरोक्त ने विद्वान अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व / कलेक्टर, स्टाम्प हरिद्वार द्वारा स्टाम्प वाद संख्या–291 / एम0वी0 / 12–13 सरकार बनाम श्रीमती संजीदा आदि में पारित आदेश दिनांक 28–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 16–03–2017 को निगरानीकर्त्रीगण की अनुपस्थिति के कारण निरस्त करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 17–08–2017 के विरूद्ध मुख्य रूप से इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि विद्वान अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व द्वारा उपरोक्त स्टाम्प वाद में जो नोटिस जारी किया गया है उसकी कोई जानकारी निगरानीकर्त्रीगण को नही हो पाई थी तथा एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 28–03–2014 पारित किया गया है जिसकी जानकारी उन्हें ज0वि0अधि0 पत्र / 68 / वसूली प्रमाण पत्र मिलने पर हुई। आदेश दिनांक 28–01–2015 को वापस लेकर निगरानीकर्त्रीगण को सुनने का अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु दिनांक 16–03–2017 को अधिवक्ता के माध्यम से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन पूर्व अधिवक्ता की लापरवाही के कारण रैस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दिया गया है। अतः एकपक्षीय रूप से पारित आक्षेपित आदेशों को निरस्त कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा निगरानी के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

मैंने निगरानी की ग्राह्यता पर निगरानीकर्त्रीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

निगरानीकर्त्रीगण ने अपने निगरानी पत्र जो कि– "शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है में उल्लेख किया है कि आदेश दिनांक 28–01–2015 को वापस लिये जाने हेतु जो प्रार्थना पत्र दिनांक 16–03–2017 को प्रस्तुत किया गया था उसकी सही जानकारी उनके पूर्व अधिवक्ता द्वारा उन्हें न दिये जाने के कारण उसके निरस्त होने की जानकारी उन्हें दिनांक 14–09–2017 को अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार के न्यायालय में जाने पर हुई, कि उनका पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 17–08–2017 को निरस्त हो गया है। निगरानीकर्त्री के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना था कि जब आदेश दिनांक 17–08–2017 को वापस लेने हेतु उनके द्वारा पुनः पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो उसे लेने से इन्कार किया गया। इसी कारण यह निगरानी प्रस्तुत की है। चूंकि आदेश दिनांक 28–01–2015 से निगरानीकर्त्रीगण पर बिना उन्हें सुने कमी स्टाम्प शुल्क तथा अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। अतः उचित होता कि विद्वान अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत निगरानीकर्त्रीगण को आपत्ति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत निस्तारण करते भले ही इसके लिए निगरानीकर्त्रीगण पर दण्डस्वरूप कुछ धनराशि ही क्यों न वसूल की जाती। अतः न्याय हित में यह आवश्यक है कि निगरानीकर्त्रीगण को आपत्ति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही प्रकरण में विधिसम्मत आदेश पारित किया जाए। फलस्वरूप निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही ग्रहण कर स्वीकार किये जाने योग्य है।

निगरानी ग्रहण कर स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 17–08–2017 एवं आदेश दिनांक 28–01–2015 अपास्त कर प्रकरण पुनर्स्थापित करते हुए विद्वान अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे निगरानीकर्त्रीगण को आपत्ति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। निगरानीकर्त्रीगण प्रथम अवसर पर ही अपनी आपत्ति अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पक्षकार दिनांक 03–11–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। न्यायालय पत्रावली संचित हो।

दिनांक :– 09.10.2017

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)